राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(20)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सभा/2026/ई–81146 जयपुर, दिनांकः–

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान)।

विषयः– दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। अतः आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा के एजेण्डें में निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित कर, संलग्न विस्तृत नोट के तहत कार्यवाही संपादित किया जाना सुनिश्चित करें :–

1 **''मुख्यमन्त्री विकसित ग्राम अभियान'' ग्राम पंचायत के संदर्भ में सूचकांकों पर चर्चा व अनुमोदन तथा आकांक्षाओं (Aspirations)/प्राथमिकताओं (Priorities) के संबंध में चर्चा ।**
2 **''वृक्षारोपण अभियान'' के संबंध में चर्चा ।**
3 **''वंदे गंगा जल सरक्षण जन अभियान'' के संबंध में चर्चा।**
4 **''अटल ज्ञान केन्द्र'' के संबंध में चर्चा।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(भारत भूषण गोयल)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
5. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त ।
7. जिला कलक्टर, समस्त ।
8. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना मुख्यालय।
9. अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक (मो0), मुख्यालय।
10. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यालय।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Bhushan Goyal
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.04.11 12:44:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21539781
M e-Sign

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम / शहरी वार्ड अभियान - ग्राम पंचायत / शहरी वार्ड स्तर की गतिविधियाँ

1. पहली ग्राम सभा / शहरी वार्ड बैठक:

- पहली ग्राम सभा या शहरी वार्ड सभा बैठक में अभियान की जानकारी दी जाएगी और नागरिकों से सुझाव लेने के लिए सुझाव पेटिका, व्हाट्सएप, ई-मेल और अन्य डिजिटल माध्यमों की व्यवस्था के लिए चर्चा की जाएगी।

2. सुझाव संग्रह तंत्र स्थापित करना

- सुझाव पेटिका - हर ग्राम पंचायत / शहरी वार्ड में लगाई जाएगी
- व्हाट्सएप नंबर/ ईमेल / अन्य तरीको से भी सार्वजनिक सुझावों को प्राप्त किया जाएगा

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम / शहरी वार्ड अभियान - ग्राम पंचायत / शहरी वार्ड स्तर की गतिविधियाँ

3. स्थानीय टीम द्वारा सर्वे और डेटा संकलन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के उपलब्ध GIS प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए जल स्रोत, सड़कें, सार्वजनिक भवन आदि की GIS आधारित मैपिंग की जाएगी।

4. स्थानीय टीमों की अगली बैठक में सर्वे और डेटा संकलन के काम की समीक्षा की जाएगी। डेटा का मिलान और विभागीय पुष्टि की जाएगी। सभी डेटा को Toolkit में भरा जाएगा।

5. स्थानीय टीमों द्वारा फोकस ग्रुप चर्चा के लिए हितधारकों की सूची तैयार की जाएगी।

6. हितधारकों के साथ सुझावों को शामिल करते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए फोकस ग्रुप चर्चाओं के माध्यम से पर 2030, 2035 और 2047 की विकास आकांक्षाओं को निर्धारित किया जाएगा। सभी डेटा, आकांक्षाओं को एकीकृत कर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

7. विशेष ग्राम सभा तथा शहरी वार्ड सभा का आयोजन कर ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रस्तुत कर अनुमोदन लिया जाएगा और फिर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
8. इसके बाद नोडल विभागों द्वारा इसकी समीक्षा कर आवश्यक संशोधन के सुझाव दिए जाएंगे।
9. अंततः अंतिम मास्टर प्लान को विशेष ग्राम सभा या शहरी वार्ड सभा से अनुमोदन के बाद पोर्टल पर अपलोड कर आधिकारिक रूप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम / शहरी वार्ड अभियान – टूल

- यह टूल कुल 11 मुख्य सेक्शनों में विभाजित है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा विकसित राजस्थान @2047 के अनुरूप संरचित किए गए हैं।
- इसमें सूचकांकों के प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित इकाई दी गई है, जिसे उसी प्रारूप में सावधानीपूर्वक भरा जाना आवश्यक है, ताकि डेटा की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
- इस टूल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सूचको के लिए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 के लिए आकांक्षाओं को निर्धारित करते समय यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ते हुए संबंधित सूचक को निर्धारित वर्षों में किस स्तर तक पहुँचना चाहिए, ताकि ग्राम या शहरी वार्ड का दीर्घकालिक एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम / शहरी वार्ड अभियान - डैशबोर्ड

बेसलाइन से आकांक्षा तक की कहानी प्रस्तुत करते हुए डैशबोर्ड निर्णयकर्ताओं को एक नज़र में वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की दिशा स्पष्ट रूप से दिखाएगा। जहाँ ग्राफ, तालिकाएँ और प्रमुख संकेतकों के माध्यम से जानकारी आसानी से समझी जा सकेगी।

मुख्य घटक:

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/ शहरी वार्ड की वर्तमान स्थिति का सटीक चित्रण।
- आकांक्षा लक्ष्य 2030, 2035, 2047 तक।
- साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) शासन एवं निर्णय-निर्माण।

मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौघारोपण के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा

योग्य बिन्दु –

- वर्ष 2024 में लगाये गये कुल पौधो में से वर्तमान में जीवित पौधों पर चर्चा, जीवित पौघों के रख–रखाव हेतु प्रस्तावित कार्यवाही पर चर्चा, इस हेतु VBGRAMG (**विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण))** योजना से पौधों की सुरक्षा एवं पानी आदि पिलाने हेतु आवश्यक श्रमिक उपलब्ध करवाने पर चर्चा।
- वर्ष 2025 में लगाये गये कुल पौधो में से वर्तमान में जीवित पौधों पर चर्चा, जीवित पौघों के रख–रखाव हेतु प्रस्तावित कार्यवाही पर चर्चा, इस हेतु VBGRAMG (**विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण))** योजना से पौधों की सुरक्षा एवं पानी आदि पिलाने हेतु आवश्यक श्रमिक उपलब्ध करवाने पर चर्चा।
- वर्ष 2026 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3.61 करोड़ पौघे लगाने का लक्ष्य है। राज्य के 41 जिलों मे से 16 जिले– बालोतरा, बांरा, बाडमेर, बीकानरे, बूंदी, चुरू, धौलपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, फलौदी, श्रीगंगानगर एवं टोंक में प्रत्येक ग्राम पंचायत 2000 पौधे एवं शेष अन्य 25 जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4000 पौघे लगाने का लक्ष्य आयुक्त, ईजीएस के पत्रांक दिनांक 10.03.2026 के द्वारा दिया गया है। इन लक्ष्यों के अनुसार पौधो रोपण की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करने पर विस्तृत चर्चा की जाकर पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया जावे।
- पौधारोपण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही ई–पंचायत पोर्टल पर भी की जावेगी।

"वंदे गंगा"
जल संरक्षण जन अभियान (25 मई से 05 जून 2026)
दिनांक 20.04.2026 को आयोजित ग्राम सभाओं हेतु "वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान की जानकारी दिये जाने के संबन्ध में नोट

राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई से 05 जून 2026 तक "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" का आयोजन किया जा रहा है। इस 12 दिवसीय अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जन–जागरूकता फैलाना, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में समस्त सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ, एनएसएस/एनसीसी और आमजन इस अभियान में सहभागी होंगे। अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून) पर भव्य समारोह के साथ होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	विभाग	प्रस्तावित गतिविधियां
1	जिला प्रशासन	• प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव महोदय की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय कार्यक्रम** • प्रेस कान्फ्रेन्स कर 25.05.2026 से 05.06.2026 के दौरान होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना • सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर "वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान का प्रचार प्रसार • सांस्कृतिक संध्या • जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर अन्य जिला विशेष कार्यक्रम • समापन समारोह • **"वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान** के क्रियान्वयन में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाले भामाशाह/संस्थाओं का सम्मान
2	जल संसाधन विभाग, सीएडी	• नदी, बांध, सरोवर इत्यादि पर पूजन • नहरों एवं खालो की जल उपयोगिता संगम एवं कृषकों के सहयोग से **साफ–सफाई** • **जल उपभोक्ता समूहों** के द्वारा कार्यक्रम • जल शक्ति अभियानः कैच द रैन अन्तर्गत कार्यक्रम • जल संचय जन भागीदारी अन्तर्गत कार्यक्रम • नये पूर्ण कार्यों का लोकार्पण
3	शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग	• वंदे गंगा प्रभात फेरी। • जिला प्रशासन द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण की जागरूगता हेतु निबन्ध लेखन, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन
4	राजीविका	• वंदे गंगा कलश यात्रा। • पीपल पूजन • पीपल पौधारोपण एवं वितरण • ईको फ्रेण्डली स्थानीय उत्पादों के सम्बंध में प्रशिक्षण, प्रदर्शनी एवं विक्रय (Sale)
5	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	• "वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान संकल्प एवं नुक्कड नाटक • अधिक से अधिक संख्या में जन–जन को "वंदे गंगा" जल संरक्षण जन अभियान" संकल्प दिलाना • नवीन अमृत सरोवर का शुभारम्भ • नये जल संग्रहण एवं जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों का शुभारम्भ एवं पूर्ण कार्यों का अवलोकन/लोकार्पण

		• **हरियालो राजस्थान** अन्तर्गत पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी • औरण/चारागाहों का चिन्हीकरण तथा घास बुआई एवं पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी • **"कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान"** के तहत कार्यों का अवलोकन एवं स्वीकृति • **वीबी जी राम जी** योजना अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों को प्रारम्भ करना • प्राचीन तालाब, जोहड़ इत्यादि की साफ–सफाई एवं मरम्मत • ग्राम के सभी जल स्त्रोतो की मैपिगं, साफ–सफाई एवं मरम्मत • सोख्ता गडढो की साफ–सफाई • गांवों के मुख्य मार्गो, चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों की **साफ–सफाई** • राजीविका के ग्राम संगठन एवं सी.एल.एफ. कार्यालयों में **स्वच्छता अभियान** का आयोजन • स्थानीय ग्रामवासियों/जनप्रतिनिधियों तथा नेहरू युवा केन्द्र आदि अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा प्रभात फेरी एवं जागरूकता अभियान रैली का ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन • वंदे गंगा रैली, साइकल रैली
6	पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग, आर.सी.डी.एफ.	• स्थानीय गौशाला/पशु चिकित्सालय/दुग्ध संघ में **स्वच्छता अभियान** का आयोजन
7	देवस्थान विभाग,	• जिला एवं ब्लॉक स्तर पर धार्मिक/व्यापारिक संगठन, भामाशाह, गणमान्य व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियों से संबंधित विषय पर विचार विमर्श/संगोष्ठी का आयोजन
8	सूचना एवं जन संपर्क विभाग विभाग	• चयनित मीडिया के व्यक्तियों का फील्ड भ्रमण • मीडिया राउण्ड टेबल (जल संग्रहण एवं संरक्षण के करवाये जा रहे कार्यों के महत्व से मीडिया को अवगत कराना)
9	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	• विभाग एवं भामाशाहों/स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा जल सेवा • रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, कृषि उपज मण्डी समिति आदि सार्वजनिक स्थानों पर वदे गंगा जल सेवा (NSS, NCC, NYK के स्वयं सेवको का सहयोग लिया जायें) • पेयजल स्त्रोतो यथा Ground Level Reservoir, Over Head Storage Reservoir, Clear Water Reservoir आदि की **साफ–सफाई** • RTWHS तकनीक की जानकारी देना • **जल बचत हेतु जन जागृति कार्यक्रम** • जल परीक्षण अभियान
10	भू–जल विभाग	• **कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान** के तहत कार्यों का अवलोकन, लोकार्पण एवं स्वीकृति • सरकारी भवनों में स्थित RTWHS की **साफ–सफाई** • रोड़ साइड पौधारोपण हेतु अग्रिम तैयारी
11	सार्वजनिक निर्माण विभाग	• सरकारी भवनों में स्थित RTWHS की **साफ–सफाई** • रोड साइड पौधारोपण हेतु अग्रिम तैयारी
12	उद्योग विभाग	• CSR कार्यशाला आयोजित करना (मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.2 एवं 2.3 अंतर्गत राज्य मद से अनुमोदित कार्यों हेतु गैप फण्डिंग हेतु प्रेरित करना) • जल उपयोग अंकेक्षण • **"कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान"** के तहत कार्यों का लोकार्पण एवं स्वीकृति • औधोगिक संस्थानों, निजी एवं सरकारी कार्यालयों को ग्रीन ऑफिस इनिशियेटिव (Green Office Initiative), एनर्जी आडिट (Energy Audit) एवं ग्रीन बजट (Green Budget) के संबन्ध में जानकारी दी जावे।
13	जलग्रहण विकास	• मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.1 एवं 2.2 अंतर्गत पूर्ण कार्यों का

	एवं भू–संरक्षण विभाग	अवलोकन/लोकार्पण • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.2 अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति/प्रारम्भ करना • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.3 अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति/प्रारम्भ करना • **औरण** का चिन्हीकरण एवं घास बुआई की पूर्व तैयारी • चारागाहों का चिन्हीकरण एवं पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी, बीज बैंको में गतिविधियों का क्रियान्वयन • **हरियालो राजस्थान** अंतर्गत पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.0 अंतर्गत चयनित ग्रामों की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर **रात्रि चौपाल** (अभियान अंतर्गत निर्मित एवं प्रस्तावित जल संग्रहण एवं जल संरक्षण कार्यों पर चर्चा)
14	खेल विभाग एवं नेहरू युवा केन्द्र	• स्थानीय ग्रामवासियों/जनप्रतिनिधियों तथा नेहरू युवा केन्द्र आदि अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा प्रभात फेरी एवं जागरूकता अभियान रैली का ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन • वंदे गंगा रैली, साइकल रैली • जिला प्रशासन द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण की जागरूगता हेतु निबन्ध लेखन, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन
15	पुलिस, सेना एवं अर्द्ध सेनिक बल	• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर श्रमदान • वंदे गंगा जल सेवा में सहयोग
16	स्वायत्त शासन विभाग	• जल स्त्रोतो की **साफ–सफाई** एवं मरम्मत • जल स्त्रोतो पर **दीप प्रज्वलन** • अमृतः 2.0 अंर्तगत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से **साफ–सफाई** एवं रख–रखाव कार्यक्रम • शहरी रोजगार योजना अर्न्तगत्त पौधारोपण हेतु अग्रिम तैयारी • महापुरूषों की प्रतिमाओं की **साफ–सफाई** • **प्लास्टिक** कचरे का चिन्हित स्थल पर निष्पादन, **No Plastic Day** • अमृत–2.0 अर्न्तगत नये कार्यादेश जारी करना एवं पूर्ण कार्यों का अवलोकन • स्थानीय निवासियों/जनप्रतिनिधियों तथा नेहरू युवा केन्द्र आदि अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा प्रभात फेरी एवं जागरूकता अभियान रैली का शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजन • जिले में मौजूद नदी/नालों के गंदे पानी को परिष्कृत करने हेतु एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. सयंत्रों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलन • जिले में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. से प्राप्त परिष्कृत जल का आंकलन एवं इसके उपयोग हेतु प्रस्ताव प्राप्त करना • नदियों, तालाबों एवं झीलों की सफाई हेतु जन–जागृति अभियान • सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु जन–जागृति अभियान • प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर शपथ कार्यक्रम
17	कृषि एवं उद्यान विभाग	• स्प्रिंकलर, ड्रिप, फार्म पौण्ड, पाईप लाईन की स्वीकृती जारी करना • DBT के माध्यम से राशि जारी करना • प्राकृतिक/जैविक/प्रीसीजन खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनी • स्वीकृत कार्यों का अवलोकन एवं नये कार्यों की स्वीकृतियां • **हरियालो राजस्थान** अंतर्गत पौधारोपण कार्यों की अग्रिम तैयारी • कम्पोस्टिंग तकनीक का प्रचार–प्रसार करना • लघु सिंचाई संयत्रों की प्रदर्शनी • प्रगतिशील कृषकों से चर्चा, किसान चौपाल

		• कृषि विज्ञान केन्द्रो पर संगोष्ठी एवं कृषि शिक्षा कार्यशाला • डिग्गियों की **साफ–सफाई**
18	ऊर्जा विभाग	• ट्रान्सफार्मर के आस–पास साफ–सफाई
19	वन विभाग	• **हरियालो राजस्थान** हेतु पूर्व तैयारी जैसे गडढे खोदना, CCT, SGT कार्य प्रारम्भ • वन क्षेत्र में विद्यमान जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकालना (De-silting) • विभागीय योजना में निर्मित एवं पूर्ण जल संग्रहण संरचनाओं का अवलोकन/ लोकार्पण • तुलसी के पौधों का वितरण • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.1 अंतर्गत पूर्ण कार्यों का अवलोकन/ लोकार्पण • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.2 अंतर्गत पूर्ण कार्यों का अवलोकन/ लोकार्पण तथा कार्यों को स्वीकृत करना एवं प्रारम्भ करना • मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान–2.3 अंतर्गत कार्यों को स्वीकृत करना एवं प्रारम्भ करना • **वीबी जी राम जी** योजना अंतर्गत कार्यों को प्रारम्भ करना • लवकुश वाटिका पर कार्यक्रम • नर्सरियों का विशेष स्वच्छता कार्यक्रम। जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा नर्सरियों का अवलोकन किया जावे • नर्सरियों में पौधो की ग्रेडिंग • चयनित स्थानो पर ईको फ्रेण्डली आर्ट तैयार करना
20	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	• जिले में मौजूद नदी/नालों के गंदे पानी को परिष्कृत करने हेतु एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. सयंत्रों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलन • जिले में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. से प्राप्त परिष्कृत जल का आंकलन एवं इसके उपयोग हेतु प्रस्ताव प्राप्त करना • नदियों, तालाबों एवं झीलों की सफाई हेतु जन–जागृति अभियान • सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु जन–जागृति अभियान • प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर शपथ कार्यक्रम
21	स्वयं सेवी संस्था	• जिला एवं ब्लॉक स्तर पर धार्मिक/व्यापारिक संगठन, भामाशाह, गणमान्य व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियों से संबंधित विषय पर विचार विमर्श/संगोष्ठी का आयोजन • जिला प्रशासन द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण की जागरूगता हेतु निबन्ध लेखन, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन • जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकालना (De-silting) एवं साफ–सफाई हेतु श्रमदान, वंदे गंगा जल सेवा • पशु खेलियों की साफ–सफाई • पशुओं के लिये साफ पीने के पानी की व्यवस्था एवं पक्षियों के लिये परिंडे बांधना • वंदे गंगा जल सेवा

–:अटल ज्ञान केन्द्र के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा योग्य बिन्दू:–

- बजट घोषणा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित किये जा रहे अटल ज्ञान केन्द्रों के उद्देश्यों पर चर्चा।
- अटल ज्ञान केन्द्रों पर प्रस्तावित गतिविधीयों पर चर्चा।
- अटल ज्ञान केन्द्रों में स्थापित की जाने वाली संरचनाओं पर चर्चा।
- कार्य निष्पादन पर चर्चा।